2021/41

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री देवेन्द्र कुमार
निवासी स्वास्तिक होटल के पीछे
अम्बेड़कर कॉलोनी, आबूपर्वत जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 20 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की [illegible] में जारी हुए
04.03.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 10.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता श्री खेताराम पुत्र श्री नाथुजी को 1977 में एस.डी.ओ. आबूपर्वत द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्रमांक/न्याय/77/3603 दिनांक 22.10.1977 को जारी किया गया था। उसकी अर्जी एवं अन्य सभी दस्तावेज जो संलग्न किए गए थे उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 10.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता श्री खेताराम पुत्र श्री नाथुजी को 1977 में एस.डी.ओ. आबूपर्वत द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्रमांक/न्याय/77/3603 दिनांक 22.10.1977 को जारी किया गया था। उसकी अर्जी एवं अन्य सभी दस्तावेज जो संलग्न किए गए थे उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 40 दिनांक 11.01.2021 को अपीलांट को सूचित किया गया कि अपीलांट को जरिये पत्र क्रमांक 1610 दिनांक 24.12.2020 को सूचित किया गया था कि वह कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख का स्वयं निरीक्षण कर जो अभिलेख सूचना चाही गई वो उपलब्ध कराई जा सके। अपीलांट उपस्थित आए परन्तु रिकॉर्ड बहु[illegible] से कार्यालय कार्मिक के साथ निरीक्षण करने हेतु [illegible] नहीं किया एवं कार्यालय से चले गए। अतः अपीलांट की अपील स्वीक[illegible] जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी [illegible] जाता है कि अपीलांट द्वारा [illegible] गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नि[illegible] संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner